

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय बाँली।

--- रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 15/12/20

अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक वन संरक्षक स0मा0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/05/2020 मु0न0 39/14 उनवानी सरकार बनाम अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अपील प्रस्तुत की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि साविक ख0न0 27 रकबा 15 वीघा कृषि भूमि राजस्व ग्राम मेदार तहसील बाँली में दिनांक 11/1/64 को आवंटित हुई थी, तभी से आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि हाल ख0न. 358 ,359,360 कुल रकबा 1.51 है0 हाल राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम से दर्ज है। अपीलान्ट को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत उक्त स्थल पर अतिचारी घोषित किया जाकर उक्त स्थल से बेदखल किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं तथा शास्ति अधिरोपित की गई है।

उक्त प्रकरण की अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने के बाद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव होने पर उभय पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट वकील ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी को साविक खसरा नम्बर 27 मिन वाके ग्राम मेदार खुर्द में आवंटन 11/11/1964 को किया गया था जिसके पूर्व से ही अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन के पश्चात इस भूमि पर काफी पैसा खर्च कर इस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनया तथा अपीलान्ट ने उक्त आराजी में विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा बाड़े का निर्माण कर रखा है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट 50 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त है। पुनःश्च अपीलान्ट वकील ने तर्क दिया की आराजीयात को लेकर अपीलान्ट एवं रेसपोडेंट के मध्य सक्षम न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय बाँली के यहां वाद पत्र लम्बित है पूर्व में माननीय न्यायालय एसडीओ साहब बाँली द्वारा मु0न0 101/14 में अपील अधिकारी महोदय सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत हुई थी। जिसमें दिनांक 22-02-2016 को उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर अपीलान्धीन आदेश दिनांक 04-06-2016 को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट के पिता को दिनांक 11/01/1964

अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

को अपीलान्धीन आदेश खिलाफ कानून जाकर पारित किया गया है

जब किंग नये आवंटन में कब्जा संभलाने की रिपोर्ट में उन्हें किस भू भाग पर कब्जा संभलाया गया था। तथा वन विभाग को दिनांक 4/10/1967 को किया गया आवंटन किस भू भाग पर किया गया। तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा जो नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये हैं उनके हाल में साविक पर विचार कर तथा गवाहों की साक्ष्यों पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करें। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/05/2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील पुराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा वन प्रसार अधिकारी की रिपोर्ट भी अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त ने उक्त आराजी खसरा न० 358, 359, 360 पर कब्जा कर रखा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलान्त द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र की फोटो प्रति एवं राजस्व अपील अधिकारी स०मा० के निर्णय दिनांक 22/2/16 की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि से सम्बन्धित घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज का प्रकरण 26/9/14 से विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि की दुरुस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। जबकी साविक ख०न० 27 का कुल रकबा 600 बीघा हाने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मुताविक कब्जा तरमीम नहीं किये जाने के कारण भी विवाद सम्भव है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/05/2020 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश का साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित भूमि ख०न० 358, 359, 360 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.51 है० एवं अपीलान्त के नाम से दर्ज कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 15 बीघा की उभयपक्षों की उपस्थिति में राजस्व विभाग द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलव कर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 15.12.20 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न की जाकर भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर